कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2020 / 1379 दिनांक :: 27 जून, 2020

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 26 जून, 2020 को दोपहर 12.15 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक **20 फरवरी, 2020** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **20 फरवरी, 2020** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति बाबत। JDA/FTS /11613

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	उल्लेख अकिंत नही है।	उल्लेख अकिंत नही है।

प्राधिकरण की ओर से विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी हेतु श्री प्रतीक चारण का पैनल अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

उनका विवरण निम्नानुसार है :–

नाम : श्री प्रतीक चारण
पता : प्लॉट नं. 53, रूप नगर, पावटा–सी रोड़, जोधपुर
पंजीयन संख्या : आर / 872 / 2016
मो.नं. : 9974286424

उक्तानुसार श्री प्रतीक चारण का विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्ति की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तावित है। इनको प्रति प्रकरण 5,000/– रूपये मात्र फीस तथा नियमानुसार खर्चे देय होंगे।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपस्थित निदेशक–विधि ने अवगत कराया कि एक अन्य अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र सांखला (पंजीयन संख्या आर/1945/2018) निवासी सी–40, सिविल लाईन कॉलोनी, भानुनगर, नई नागौर रोड मण्डोर, जोधपुर (मोबाईल नम्बर 8387832017) ने भी प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अधिवक्ता श्री प्रतीक चारण (पंजीयन संख्या : आर/872/2016) एवं अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र सांखला (पंजीयन संख्या आर/1945/2018) को उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में प्राधिकरण की ओर से पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया। साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इनको प्रति प्रकरण 5,000/– रूपये मात्र फीस तथा नियमानुसार खर्चे देय होंगे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोन पश्चिम में लगी रोड़ लाईटों का रख–रखाव दो वर्ष तक करने के कार्य हेतु कार्यकारी समिति में निविदा स्वीकृति के अनुमोदन बाबत। JDA/FTS/97420

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

जोन पश्चिम में लगी रोड़ लाईटो का रख–रखाव दो वर्ष तक करने हेतु राशि रू. 74.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी। इस हेतु राशि रू. 74.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई थी। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को अपना कर दिनांक 17.03.2020 को निविदा खोली गई। निविदा खोलने की दिनांक 17.03.2020 के बाद Covid-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण कार्यालय लम्बे समय तक खुल नहीं पाया था। इस कारण निविदा पर निर्णय 50 दिवस में नहीं हो सका।

निविदा पर निर्णय लेने हेतु अधिकतम अवधि 50 दिन निर्धारित है। यह अवधि समाप्त हो चुंकी है। SOP के अनुसार इस अवधि के बाद उच्च्व स्तरीय समिति को निविदा पर निर्णय की सक्षमता है। इस प्रकरण में उच्च्व स्तरीय समिति कार्यकारी समिति है।

अतः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उक्त निविदा की स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोन दक्षिण में लगी रोड़ लाईटों का रख–रखाव दो वर्ष तक करने के कार्य हेतु कार्यकारी समिति में निविदा स्वीकृति के अनुमोदन बाबत। JDA/FTS /97421

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

जोन दक्षिण में लगी रोड़ लाईटो का रख–रखाव दो वर्ष तक करने हेतु राशि रू. 92.60 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी। इस हेतु राशि रू. 92.60 लाख की तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई थी। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को अपना कर दिनांक 17.03.2020 को निविदा खोली गई। निविदा खोलने की दिनांक 17.03.2020 के बाद Covid-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण कार्यालय लम्बे समय तक खुल नहीं पाया था। इस कारण निविदा पर निर्णय 50 दिवस में नहीं हो सका।

निविदा पर निर्णय लेने हेतु अधिकतम अवधि 50 दिन निर्धारित है। यह अवधि समाप्त हो चुंकी है। SOP के अनुसार इस अवधि के बाद उच्च स्तरीय समिति को निविदा पर निर्णय की सक्षमता है। इस प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति कार्यकारी समिति है।

अतः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उक्त निविदा की स्वीकृति के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोधपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार अस्थाई लाईट की व्यवस्था एंव आवश्यकतानुसार जनरेटर लगाने की व्यवस्था करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध) के कार्योदेश राशि के 1.5 गुणा तक के भुगतान की स्वीकृति हेतु। JDA/FTS /11997

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

अनुबन्ध संख्या :– F38(08)Ele./2017-18

उक्त कार्य के लिये प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति राशि रू. 20.00 लाख की दिनांक 27.06.17 को जारी की गई। कार्य की तकनीकि स्वीकृति राशि रू. 20.00 लाख दिनांक 07.07.2017 को जारी की गई। कार्य का कार्यादेश राशि रू. 10,24,301/– दिनांक 12.09.2017 को जारी किया गया था। कार्यादेश अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 01.10.2017 तथा

कार्य पूर्ण करने की दिनांक 30.09.2018 थी। कार्य पर वास्तविक व्यय राशि रू. 13,93,619/– का हो चुका है। संवेदक द्वारा कुल राशि रू. 9,53,505/– के विपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत किये है। जो कि प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति का 17.36 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार इस कार्य पर कुल व्यय राशि रू. 23,47,124/– का होगा जो कि कार्यादेश राशि का 129.14 प्रतिशत है। विधानसभा आम चुनाव 2018 के आदर्श आचार संहिता के कारण नया कार्यादेश नहीं जारी किया जा सका। अधिक कार्य करवाया गया। इस कारण SOP के अनुसार कार्यादेश राशि के 1.5 गुणा तक के भुगतान की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित हैं।

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष उक्त कार्य हेतु जारी कार्यादेश राशि रू. 10,24,301/– के 1.5 गुणा यानि राशि रू. 15,36,451/– तक के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लेते हुए प्रस्ताव अनुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: पाल रोड़ स्थित गंगाणा फाटा में गंगाणा गांव तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक विद्युत पोलो व लाईन को शिफ्ट/भूमिगत करने के कार्य हेतु कार्यकारी समिति में निविदा स्वीकृति तथा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी किये गये कार्यादेश के अनुमोदन बाबत्। JDA/FTS/98405

अनुबन्ध संख्या :– F38(08)Ele./2020-21

पाल रोड़ स्थित गंगाणा फाटा में गंगाणा गांव तक सड़क चौड़ीकरण में बाधक विद्युत पोलो व लाईन को शिफ्ट/भूमिगत करने के कार्य हेतु राशि रू. 44.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी। इस हेतु राशि रू. 44.40 लाख की तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई थी। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को अपना कर दिनांक 17.03.2020 को निविदा खोली गई। निविदा खोलने की दिनांक 17.03.2020 के बाद Covid-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण कार्यालय लम्बे समय तक खुल नहीं पाया था। इस कारण निविदा पर निर्णय 50 दिवस में नहीं हो सका। कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में संवेदक को कार्यादेश जारी किया जा चुका है कार्य आवश्यक प्रकृति का है।

निविदा पर निर्णय लेने हेतु अधिकतम अवधि 50 दिन निर्धारित है। यह अवधि समाप्त हो चुंकी है। SOP के अनुसार इस अवधि के बाद उच्च स्तरीय समिति को निविदा पर निर्णय की सक्षमता है। इस प्रकरण में उच्च स्तरीय समिति कार्यकारी समिति है।

अतः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष उक्त कार्य कि कार्यकारी समिति में निविदा स्वीकृति तथा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी किये गये कार्यादेश के अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। इस प्रकरण में कार्योत्तर निविदा स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यादेश जारी किया जा चुका है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अनुशंषा अनुसार निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: मारवाड नगर मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डामरीकरण का कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98955

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 02 दिनांक 26.02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जवाहर नगर, शाति नगर, पूजा कॉलोनी,कुबेर नगर चौपासनी स्कूल के पास सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डामरीकरण का कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98143

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 03 दिनांक 26.02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: जवाहर नगर, शाति नगर, पूजा कॉलोनी,कुबेर नगर चौपासनी स्कूल के पास सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको पर डामरीकरण का कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98143

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुषषां की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 04 दिनांक 26.02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: मानसरोवर स्कीम मे सडक निर्माण कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98083

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 06 दिनांक 26.02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के

अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: साई बाबा मन्दिर के पीछे रूपनगर द्वितीय की गली न 3,4,5 मे डामर सडक का निर्माण कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में । JDA/FTS /98954

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 09 दिनांक 26.02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: उतम विहार, नेहरू नगर से मेडतीया गार्डन पाल रोड तक सडक निर्माण कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98789

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 10 दिनांक 26. 02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: झालामण्ड स्थित बनवाडियो की ढाणी,खेतानगर ,आदर्श नगर 1, नारायण माता राणी भटियाणी ख न.72, मीरा विहार ख न. 40 मे सीवर लाईन से क्षतिग्रस्त सडको का निर्माण कार्य के कार्यादेश का अनुमोदन के संबंध मे। JDA/FTS /95201

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	कार्यादेश अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

इस कार्य की निविदा सं. जोन पूर्व/15/2019–20 के आईटम सं.04 दिनांक 26.02. 2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 19.03.2020 को खोली गई। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था। लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 19.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई एवम् आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति उपरांत कार्यादेश क्रमांक 45–51 दिनांक 8.06.2020 को जारी कर दिया गया। उक्त कार्य के कार्यादेश के अनुमोदन हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति मे प्रस्तुत की जाती है।

अतः कार्यादेश अनुमोदन हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। इस प्रकरण में कार्योत्तर निविदा स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यादेश जारी किया जा चुका है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अनुशंषा अनुसार निविदा की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: पांचवी रोड चौराहा से शनिश्चरजी का थान वाया उम्मेद अस्पताल, जोधपुर सडक के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण का कार्य की विड्रो स्वीकृति बाबत्। JDA/FTS /98729

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की इस बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	पांचवी रोड चौराहा से शनिश्चरजी का थान वाया उम्मेद अस्पताल, जोधपुर सडक के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण का कार्य की विड्रो स्वीकृति बाबत्।

पांचवी रोड चौराहा से शनिश्चरजी का थान वाया उम्मेद अस्पताल, जोधपुर सडक के सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा करवाया गया था। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा उक्त कार्य के पेटे राशि 860.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य पर राशि रू. 488.79 लाख व्यय हो चुका है।

अधिशाषी अभियंता सानिवि नगर खण्ड, जोधपुर के पत्रांक अअ/नरव/जोध/2019–20/10064 दिनांक 03.03.2020 के तहत शेष राशि रू. 371.22 लाख को विड्रो करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ एजेन्डा नोट इस कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्य विड्रो करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अग्रेजी माध्यम) चैनपुरा, जोधपुर में स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य । JDA/FTS /98299

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यकारी समिति की आगामी बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है:

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव।

राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अग्रेजी माध्यम) चैनपुरा, जोधपुर में स्वीमिंग पुल निर्माण हेतु जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद्, जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक 556, दिनांक 27.01.2020 के द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 3684–86, दिनांक 26.12.2019 व तकनीकी स्वीकृति संख्या 2584 दिनांक 24.01.2020 है।

कुल स्वीकृत राशि 135.92 लाख एवं जिला क्रीड़ा परिषद्, जोधपुर द्वारा देय राशि 67.96 लाख है तथा शेष 50% राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा वहन की जायेगी। प्राधिकरण स्तर से कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदन उपरान्त दिनांक 11.03.2020 को आयोजित PWC की बैठक में जो.वि.प्रा.,जोधपुर द्वारा हिस्सा राशि रूपये 67.96 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: जोधपुर शहर के प्रमुख दिवारों पर पेन्टिग व माडना कार्य। JDA/FTS /95200

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यकारी समिति की इस बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है:

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन मुख्यालय द्वारा शहर के प्रमुख दिवारो पर पेंन्टिग व माडने का कार्य की अधिक स्वीकृति प्रस्ताव।

जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2020 को आयोजित विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में प्राप्त निर्देशानुसार शहर के प्रमुख दिवारो पर पेंन्टिग व माडना कार्य अधिक स्थानों पर कराये जाने हेतु निर्देशित किया। उक्त कार्यो की स्वीकृति 75 लाख रूपये व कार्य आदेश राशि 35,78,260/– रूपये है।

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में विकास कमेटी के बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार और अधिक स्थानों में कार्य कराये जाने पर कार्योदेश राशि से 44 प्रतिशत अधिक 15.75 लाख रूपये की अधिक स्वीकृति एंव कुल राशि 51.53 लाख की स्वीकृति इस कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यादेश से 44 प्रतिशत अधिक कार्य की रूपये 15.75 लाख स्वीकृति सहित कुल 51.53 लाख रूपये के भुगतान की स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: प्राधिकरण में ट्रेक्टर मय ट्रोली,मजदूर मय औजार एवं टाटा 407, तथा जे.सी.बी. किराये पर आपूर्ति हेतु कार्य की समयावधि बढाने एवं भुगतान की स्वीकृति बाबत्। JDA/FTS/35784

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	प्राधिकरण में ट्रेक्टर मय ट्रोली,मजदूर मय औजार एवं टाटा 407, तथा जे.सी.बी. किराये पर आपूर्ति हेतु कार्य की समयावधि बढाने एवं भुगतान की स्वीकृति बाबत्।	आदर्श आचार संहिता होने के कारण नई निविदा जारी कर कार्य आदेश नहीं दिया जा सका तथा कार्य कि आवश्यकता के कारण विद्यमान वार्षिक दर संविदा के तहत कार्य करवाया गया। अतः आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 29(2)(झ) के प्रावधान अनुसार विद्यमान वार्षिक दर संविदा कि अवधि 3 माह दिनांक 13.02.2019 तक बढाये जाने एंव उक्त अवधि तक कराये गये कार्य के भुगतान कि स्वीकृति कि अनुशंषा की जाती है।

प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले गॉवों में अतिक्रमण हटाने, प्राधिकरण योजना क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने एवं आपदा के समय ट्रेक्टर मय ट्रोली मय हाईड्रोलिक लिफ्ट, जे.सी.बी. एवं मजदूर मय औजार तथा टाटा 407 किराये पर आपूर्ति हेतू प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कमांक 3933 दिनांक 15.09.17 राशि रू. 20.00/– लाख जारी की गई।

इस कार्यालय द्वारा अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या जोन पूल/01/2017–18 दिनांक 16.10.2017 जारी की गई। निविदा अनुसार ऑनलाईन निविदा फार्म उपलब्धता डाउनलोड प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने की दिनांक क्रमशः 18.10.2017 एवं 27.10.2017 थी। निविदा खोलने की दिनांक 31.10.2017 निर्धारित थी। निर्धारित दिनांक तक प्राप्त निविदाओं को खोलने के पश्चात् सक्षम स्तर पर स्वीकृति उपरान्त न्यूनतम दर दाता मैसर्स जे.आर.सी. कन्स. जोधपुर को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 467–474 दिनांक 14.11.2017 को वार्षिक दर संविदा के तहत् 1 वर्ष हेतू कार्यादेश जारी किया गया। वार्षिक दर संविदा के तहत् वार्षिक अनुबन्ध की अवधि दिनांक 13.11.2018 तक निर्धारित थी। वार्षिक दर संविदा समाप्ति दिनांक 13.11.2018 से पूर्व ही विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण नई निविदा जारी नही की जा सकी तथा अतिआवश्यक कार्य के कारण चालू वार्षिक दर संविदा के तहत् ही कार्य करवाया गया। मैसर्स जे.आर.सी. कन्स. द्वारा दिनांक 30.05.2019 तक करवाये गये कार्यो का कूल राशि रू. 15,25,658/– के बिल सम्बन्धित अधिकारियों से प्रमाणित करवाकर भुगतान हेतू प्रस्तूत किये गये है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(झ) अनुसार वार्षिक दर संविदा की अवधि अधिकतम 3 माह तक बढाई जा सकती है। उक्त नियम अनुसार इस वार्षिक दर संविदा की अवधि 13.02.2019 तक बढाई जा सकती है। संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार दिनांक 13.02.2019 तक के बिलों की राशि रू. 14,29,284/– है तथा उक्त अवधि पश्चात् बिलों की राशि रू. 96,374/– है।

अतः राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(झ) अनुसार वार्षिक दर संविदा की अवधि अधिकतम 3 माह तक बढाये जाने का प्रावधान होने के फलस्वरूप उक्त वार्षिक दर संविदा की अवधि दिनांक 13.02.2019 तक बढाया जाना एवं उक्त अवधि तक कराये गये कार्य के बिलों के भुगतान की कार्योन्तर स्वीकृति हेतू प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार वार्षिक दर संविदा अवधि दिनांक 13 फरवरी, 2019 तक बढाये जाने एवं राशि 14,29,284/– के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत संविदाकर्मियो की संविदा आधारित सेवाएं के लिये आगामी 02 वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98949

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की इस बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत संविदाकर्मियो की संविदा आधारित सेवाएं के लिये आगामी 02 वर्ष हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति से अपेक्षित है।

सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत–70 (उच्च कुशल–45 एवं कुशल–25) संविदाकर्मियो की संविदा आधारित सेवाएं के लिये आगामी 02 वर्ष हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राशि रू. 265.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार राशि रूपये 265.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाएं के लिये आगामी 02 वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /98948

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की इस बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाएं के लिये आगामी 02 वर्ष हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति से अपेक्षित है।

सेवाप्रदाता ऐजेन्सी के मार्फत–60 कम्प्युटर ऑपरेटर की सेवाएं के लिये आगामी 02 वर्ष हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में राशि रू. 165.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार राशि रूपये 165.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनो में टेन्ट की व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (वार्षिक दर संविदा) की समयावृद्धि बढाने के संबंध में। JDA/FTS /14143

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की इस बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनो में टेन्ट की व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (वार्षिक दर संविदा) की समयावृद्धि बढाने हेतु अनुमोदन कार्यकारी समिति से अपेक्षित है।

प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनो मे टेन्ट व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था के लिये मेसर्स संकलेचा टेन्ट हाउस के साथ निष्पादित अनुबंध की वैद्यता दिनांक 18.06.2020 को समाप्त हो चुकी है चुंकि कोविड–19 महामारी के कारण सम्पूर्ण लॉकडाउन की वजह से नवीन निविदा आमंत्रित नही की जा सकी किन्तु नवीन निविदा हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। नये अनुबंध होने तक आगामी तीन माह अर्थात दिनांक 17.09.2020 तक उक्त अनुबंध अवधि को बढाया जाना प्रस्तावित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार अनुबंध अवधि दिनांक 17 सितम्बर, 2020 तक बढाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनो में टेन्ट की व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (वार्षिक दर संविदा) की आगामी 02 वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी के संबंध में। JDA/FTS /98939

उपरोक्त विषयान्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की इस बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनो में टेन्ट की व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (वार्षिक दर संविदा) की आगामी 02 वर्ष हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की जानी है।

प्राधिकरण के विभिन्न आयोजनो में टेन्ट की व फर्नीचर की किराये पर व्यवस्था (वार्षिक दर संविदा) की आगामी 02 वर्ष हेतु राशि रू. 200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की जानी है। जेडीए जोधपुर की एसओपी जो दिनांक 01.05.2017 से लागू है के पार्ट द्वितीय (Good & service) ds S.No. 01 के अनुसार 25.00 लाख से अधिक की सेवाओं के लिये प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति सक्षम है।

अतः राशि रू. 200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार राशि रूपये 200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42/2 का रकबा 4100.26 वर्गगज भूमि का वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में। JDA/FTS /97821

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 42/2 का रकबा 3428.37 वर्गमीटर (4100.26 वर्गगज) भूमि का जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ. 37/भूउप/54/2019 आवेदक श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 28.01.2020 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 28.01.2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार सम्पूर्ण खसरा संख्या 42 का वर्तमान भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवेदित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय व प्रस्तावित 200' फीट सड़क के अन्तर्गत आरक्षित है। परन्तु मौके पर प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़क का एलाइन्मेंट बदल दिया गया है तथा भूखण्ड के पश्चिमी दिशा से गुजर रहा है, जो कि गूगल मैप में अंकन कर दिया गया है। प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा दिनांक– 01.05.2015 को आवासीय प्रयोजनार्थ का पट्टा विलेख जारी किया जा चुका है। जिसके दक्षिण दिशा में 60' फीट सड़क है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड रघुवीर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह के नाम खसरा संख्या 42/2 दर्ज है, उक्त भूखण्ड मौके पर खाली है। एवं स्वामित्व रघुवीर सिंह पुत्र अमर सिंह का है।

आवेदित भूखण्ड आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12.04.2018 अनुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है। प्रकरण में पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिनांक– 12.12. 2019 को स्वीकृति प्रेषित की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है, तथा साथ ही उक्त उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से पर्यटन ईकाई के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भू–उपयोग परिवर्तन बाबत निर्णय लेने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: राजकीय सैटेलाईट अस्पताल डिगाड़ी कलां हेतु भूमि आवंटन के संबंध में। JDA/FTS /97427

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्रकरण ग्राम डिगाड़ी कलां खसरा सख्या 68 में राजकीय सैटेलाईट अस्पताल हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पत्रांक 23521–26 दिनांक 23.12.2019 के पत्र के संलग्न प्रपत्र–स नवीन आवंटन नीति–2015 के अनुसार राजकीय सैटेलाईट अस्पताल डिगाड़ी कलां जोधपुर हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की गई है।

राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय डिगाड़ी कलां जोधपुर खसरा सख्या 68 में 8 बीघा भूमि आवंटन करने का प्रपत्र–स प्रस्तुत किया है। उपरोक्त भूमि की मौका रिपोर्ट तहसीलदार/पटवारी (पूर्व) से मंगवाई जाने पर पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे की भूमि रकबा 38.06 बीघा है। भूमि की किस्म चाही–द्वितीय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सख्या 68 में चिकित्सालय द्वारा 3 बीघा भूमि पर चार दीवारी निर्मित होना दर्शाया है एवं उक्त भूमि में 30ग60 का एक चिकित्सा भवन एवं 2 हॉल निर्मित एवं संचालित होना बताया है। चिकित्सालय हेतु 08 बीघा भूमि की मांग की गई है परन्तु रिपोर्ट अनुसार मौके पर 03 बीघा भूमि ही उपलब्ध है जिस बाबत प्रभारी अधिकारी राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय डिगाड़ी कलां जोधपुर में लिखित सहमति पेश की गई है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम डिगाड़ी कलां खसरा संख्या 68 मास्टर प्लान–2023 के अनुसार उक्त खसरे का लैण्ड यूज आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्शाया है। अतः अस्पताल प्रयोजन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है तथा

उक्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन व्यापक जनहित राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 के अनुसार कार्यवाही करने की पत्रावली में टिप्पणी अंकित है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 68 संबंधित कोई वाद–विवाद लंबित नहीं है परन्तु की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की पूर्व रिट संख्या 1554/04 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान वगैरा में माननीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों की पालना में सुनिश्चित भी की जानी चाहिये।

अतः राजकीय सैटेलाईट अस्पताल द्वारा ग्राम डिगाड़ी कलां खसरा संख्या 68 में 08 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है जिसकी मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त चिकित्सालय 03 बीघा में निर्मित व संचालित है। अतः चिकित्सालय द्वारा उक्त भूमि का आवंटन–पत्र एवं पट्‌टा विलेख जारी करने की मांग की गई है।

अतः प्रकरण राजस्थान सैटेलाईट चिकित्सालय डिगाड़ी कलां जोधपुर को मौका रिपोर्ट व मांग अनुसार ग्राम डिगाड़ी कलां खसरा संख्या 68 रकबा 38.06 बीघा में से 03 बीघा भूमि का आवंटन तदनुसार लैण्ड यूज आवासीय को अस्पतालय प्रयोजनार्थ हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 20.07.2017 में व्यापक जनहित के अनुसार प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णय/विचारविमर्श हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन संबंधित आवेदक द्वारा नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन कराने की शर्त पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: राजस्थान विकास संस्थान को ग्राम झालामण्ड, तहसील जोधपुर के खसरा नं. 413 में कुल 6 बीघा अतिरिक्त द्वितीय भूमि आवंटन करने बाबत्। JDA/FTS /96151

क.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	राजस्थान विकास संस्थान को ग्राम झालामण्ड, तहसील जोधपुर के खसरा नं. 413 में कुल 6 बीघा अतिरिक्त द्वितीय भूमि आवंटन करने बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नियमानुसार

राजस्थान विकास संस्थान द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन करने हेतु राजस्थान विकास संस्थान द्वारा नवीन भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत 'प्रपत्र–ब' में खसरा नं. 413 ग्राम झालामण्ड में 40 बीघा भूमि मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु आवंटन करने की मॉग की गई थी।

राज्य सरकार के आदेश कमांक–प.1(46)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 20.09.2018 के अनुसार प्राधिकरणों के द्वारा प्रेषित पत्रों के कम में मंत्री मण्डल की आज्ञा 182/2018 के अनुक्रम में राजस्थान विकास संस्थान को जोधपुर में सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (750 बेड़) एवं मेडीकल कॉलेज स्थापित करने हेतु ग्राम झालामण्ड के ख. न. 413 एवं ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 326 की कुल 61.02 बीघा भूमि में से रास्ते की 5.14 बीघा भूमि छोड़कर शेष 55.08

बीघा भूमि (ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 में 35 बीघा एवं ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 326 में से 20.08 बीघा) भूमि आवंटन नीति–2015 में निर्धारित शर्तो एवं आवेदक संस्थान को आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि में से स्थित सड़क/रास्ते से वाहनों तथा आमजन के आवागमन में भविष्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किये जाने के आशय का बंध पत्र आवेदक संस्था से लिये जाने की शर्त पर आरक्षित दर के 25 प्रतिशत पर रियायती दर पर भूमि आवंटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा विगत 6 माह के प्रकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 03.08.2019 में समीक्षा करते हुए उपरोक्त संस्थान को भूमि आवंटन संबंधित निर्णय को यथावत रखा गया है।

उपरोक्त आदेश की पालना में प्राधिकरण द्वारा राजस्थान विकास संस्थान जोधपुर को ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के ख. न. 413 रकबा 35 बीघा भूमि आरक्षित दर 1452/–रू प्रति वर्ग मीटर में 25 प्रतिशत जोड़ने पर कुल आरक्षित दर 1815/–रू की 25 प्रतिशत आरक्षित दर 454/–रू प्रतिवर्गमीटर एवं कुडी भगतासनी के खसरा न. 326 में 20.08 बीघा भूमि 3781.25/–रू प्रति वर्गमीटर एवं इसकी 25 प्रतिशत राशि जोडने पर 946/– रू प्रति वर्गमीटर से दिनांक 04.12.2018 को आवंटन पत्र जारी किया गया। संस्थान द्वारा उक्त आवंटन पत्र के अनुसार ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 413 रकबा 35 बीघा भूमि की राशि जमा करवाकर आवंटित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर दिनांक 18.12.2018 को लीज डीड (पट्टा) भी प्राप्त कर लिया गया है।

राज्य सरकार के आदेश की पालना में ग्राम कुडी भगतासनी के ख. न. 326 रकबा 20.08 बीघा का भी आरक्षित दर 3025/– प्रति वर्ग मीटर में 25 प्रतिशत जोडकर गणना करने पर कुल आरक्षित दर 3781.25/–रू. प्रति वर्ग मीटर की 25 प्रतिशत दर 946/–रू. प्रति वर्ग मीटर से आवंटन पत्र 4,39,35,513/– जारी किया गया। आवंटित भूमि की कीमत में संशोधन के संबंध में आवंटी संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के सन्दर्भ में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.12.2019 के द्वारा आवंटन कीमत को संशोधित करने के फलस्वरूप आरक्षित दर की 25 प्रतिशत से गणना करते हुए दिनांक 06.03.2020 को संशोधित मांग पत्र राशि रू 3,84,06,411/–रू का जारी किया गया जिसमें उल्लेखित कीमत राशि आवंटी संस्था द्वारा आज दिनांक तक प्राधिकरण कोष में जमा नही कराने के कारण संस्थान को भौतिक कब्जा एवं लीजडीड (पट्टा) जारी नही किया गया है।

तत्पश्चात् दिनांक 03.10.2019 को अध्यक्ष राजस्थान विकास संस्थान जोधपुर द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रार्थना–पत्र 'प्रपत्र अ' में आवश्यक दस्तावेज एवं रूपये 5000/– की डी.डी के साथ पेश कर संस्थान को जोधपुर में सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 की 6 बीघा भूमि द्वितीय आवंटन (अतिरिक्त भूमि) किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदित भूमि खसरा संख्या 413 ग्राम झालामण्ड रकबा 6 बीघा के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के निर्णय दिनांक 12.02.2020 द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्ती करते हुए प्राधिकरण के खाते में दर्ज करने के आदेश की पालना में भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व में दर्ज की गई। संस्थान द्वारा आवंटन नीति–2015 के तहत आवेदित प्रार्थना पत्र एवं समस्त दस्तावेजों को आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 4.2 की पालना में प्राधिकरण की वेबसाईट पर 15 दिवस तक डाला गया था। जिस पर किसी प्रकार की आपति प्राप्त नही हुई।

आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 6.3 के अनुसार किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद संस्थान द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नही की जाएगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नहीं होगी तथा यह आंवटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर. 20 प्रतिशत जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा। आवंटन नीति–2015 की शर्त संख्या 6.5 के अनुसार किसी भी संस्था को यदि राज्य में पूर्व में कहीं पर भी आवंटन हुआ है तो उक्त भूखण्ड पर निर्माण कर उद्देश्य को पूर्ण कर लेने के पश्चात ही दूसरा आवंटन किया जावेगा। आवंटी संस्था को पूर्व में ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 में से आवंटित 35 बीघा भूमि पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु भवन मानचित्र

का अनुमोदन दिनांक 02.12.2019 को जारी किया गया था जिसमें निर्माण पूर्ण करने की अवधि 2 वर्ष एवं प्रारंभ करने की अवधि 1 वर्ष उल्लेखित की गई है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि पर चार दीवारी निर्माण एवं अण्डरग्राउण्ड निर्माण का कार्य प्रगतिरत है तथा निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है।

राजस्थान विकास संस्थान को प्रथम आवंटन राजस्व ग्राम झालामण्ड ख.न. 413 एवं ग्राम कुडी भगतासनी के ख. न. 326 में पूर्व में रियायती दर पर भूमि आवंटन किया गया है तथा संस्थान द्वारा ग्राम झालामण्ड ख.न. 413 में आवंटित भूमि के लगती हुई 6 बीघा अतिरिक्त भूमि का द्वितीय आवंटन चाहा गया है। आवेदित भूमि क भू–उपयोग मास्टर प्लान की 200 फीट सडक एवं सडक के उतर दिशा की तरफ वाला आंशिक भाग ओ.सी.एफ के अन्तर्गत आरक्षित है। आवेदित भूमि की लोकेशन पार्ट प्लान अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है तथा उक्त लोकेशन 6 बीघा का भू–उपयोग एम. डी. पी. 2031 ड्राफ्ट में पब्लिक सेमी पब्लिक प्रयोजन के अन्तर्गत सैकेण्डरी एण्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल अन्तर्गत आरक्षित दर्शाया गया है। संस्था द्वारा चाहा गया उपयोग मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल प्रयोजनार्थ है जो कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.07.2017 के परिपेक्ष्य में व्यापक जनहित श्रेणी के अन्तर्गत है। अतः प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है। भू–उपयोग परिवर्तन संबंधी कार्यवाही पृथक से आयोजना शाखा द्वारा की जा रही है।

तहसीलदार/पटवारी (पूर्व) की मौका रिपोर्ट अनुसार प्राधिकरण के गैर योजना क्षेत्रों हेतु निर्धारित आवासीय आरक्षित दर की सूची अनुसार उक्त आवेदित भूमि की आवासीय–आरक्षित–दर 1597/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है तथा व्यावसायिक–दर आवासीय–आरक्षित–दर की दुगुनी होगी। उक्त भूमि की असिंचित भूमि की डी.एल.सी. दर 30,00,000/– (तीस लाख रूपये) प्रति बीघा निर्धारित/रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रकरण से संबंधित आवंटन नीति–2015 के नियम 6.3 के प्रावधानानुसार किसी भी संस्था के लिए आवंटन की विशेष रियायती दर राज्य सरकार द्वारा आदेशित हो जाने के बाद उसके द्वारा अपनी परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की मांग नही की जायेगी और यदि वह आवंटित भूमि से लगती हुई अतिरिक्त भूमि की मांग करता है तो आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त भूमि पर कोई छूट देय नही होगी तथा यह आवंटन प्रचलित आरक्षित दर अथवा डीएलसी. 20 प्रतिशत, जैसी भी स्थिति हो, पर किया जायेगा। इस भूमि की आरक्षित दर 1597/–रू प्रतिवर्गमीटर की दर से गणना करने पर 25,85,543/– प्रतिबीघा बनती है जबकि डीएलसी की दर 30.00 लाख रू प्रतिबीघा है उक्त वर्णित नियम 6.3 के अनुसार डीएलसी. 20 प्रतिशत से गणना करने पर 36.00 लाख रू प्रतिबीघा की दर से कीमत गणना करते हुए इसके अतिरिक्त नियमुनसार प्रशासनिक शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ–46/आवंटन(पूर्व)/2020/4081–82 दिनांक 15.05.2020 के द्वारा ग्राम झालामण्ड, तहसील जोधपुर के खसरा संख्या 413, कुल रकबा 80–09 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से शेष 6 बीघा भूमि द्वितिय आवंटन (अतिरिक्त भूमि) राजस्थान विकास संस्थान जोधपुर को सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु कीमतन भूमि आवंटन किये जाने का प्रस्ताव भूमि आवंटन किये जाने की सक्षमता राज्य सरकार में ही निहित होने के कारण प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 15.05.2020 को संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया जिसका अनुमोदन/पुष्टि का निर्णय भी कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न हैं)।

अतः प्रकरण उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में कार्यकारी समिति की बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में दिनांक 15.05.2020 को संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार को प्रेषित किया गया था। यह भूमि नियमानुसार कीमतन आवंटन की

जाएगी तद्नुसार राज्य सरकार को पुनः पत्र प्रेषित किये जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 का रकबा 700 बीघा में से 10 एकड़ (40468.60 वर्गमीटर) भूमि का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार वर्तमान भू–उपयोग हिली एंड रॉकी से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्। JDA/FTS /97571

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषशा / प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार वर्तमान भू–उपयोग हिली एंड रॉकी से आवासीय हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 का रकबा 700 बीघा में से 10 एकड़ (40468.60 वर्गमीटर) भूमि का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार वर्तमान भू–उपयोग हिली एंड रॉकी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 09.01.2020 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 09.01.2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम श्री किशनाराम जरिये अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिसका निस्तारण पत्रावली के पैरा संख्या 118 से 119 तक किया जा चुका है।

प्रकरण को पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक– 04.07.2019 को प्रस्ताव संख्या 10 में निर्णय लिया गया **"हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. को कॉरपोरेट कार्यालय एवं उनके अधिकारीयों व कर्मचारियों के आवास हेतु टाउनशिप विकसित करने हेतु भूमि का चिन्हिकरण कर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. के अधिकारी/सक्षम प्रतिनिधि द्वारा चिन्हित/आवेदित करने पर भूमि आवंटित हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि आंवटन हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दर निर्धारण हेतु गठित कमेटी में आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. को आवंटन हेतु भूमि चिन्हिकरण बाबत् कार्यकारी समिति की बैठक द्वारा लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को अवगत कराते हुए पत्र की प्रतिलिपि जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर को भी प्रेषित की जावे तथा भूमि चिन्हिकरण किये जाने पर तद्नुसार प्रकरण में भूमि आवंटन की राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावें।"** उपरोक्त निर्णय में प्रश्नगत प्रकरण के भूमि आवंटन के संबंध में ही निर्णय लिया गया है, भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में कोई निर्णय या अभिशंषा नहीं की गई है।

राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 में जोन पटवारी द्वारा चिन्हित की गई प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार हिली एण्ड रॉकी क्षेत्र में दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) अनसुार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति दर्ज नही है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित आवेदित स्थल प्राधिकरण की अनुमोदित योजना रामराज नगर से लगती है, जिसके पहुंच हेतु योजना में से 60 फीट का मार्ग उपलब्ध है। मौके पर भूमि खाली है। प्रस्तावित भूमि में से कोई एच.टी. या एल.टी. लाईन गैस लाईन एवं जलाशय भूमि नहीं निकल रही है। प्रस्तावित भूमि

राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72 रकबा 727.12 बीघा किस्म गै.मु. पहाड जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर के नाम दर्ज है।

उल्लेखनीय है चीफ जनरल मैनेजर–प्रोजेक्टस् एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाईनरी लि. द्वारा **Residential Township for HPCL Refinary Ltd.** हेतु भूमि आवंटन बाबत् आवेदन किया गया है। **HPCL Refinary Project** पश्चिमी राजस्थान का महत्पूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसको व्यापक जनहित की श्रेणी में मानते हुए प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) के अनुसार हिली एण्ड रॉकी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने बाबत् सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण सचिव महोदय द्वारा संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को पत्र दिनांक– 22.08.2019 द्वारा किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण के 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण सचिव महोदय, जोविप्रा के पत्र दिनांक– 04.09.2019 द्वारा सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किया गया जो कि निर्णय हेतु विचाराधीन है। सचिव महोदय के पत्र दिनांक– 04.09.2019 के क्रम में वरिष्ठ नगर नियोजक (जेड.एस.पी.) के पत्र दिनांक– 21.10.2019 के बिन्दु संख्या 03 में कार्यकारी समिति की स्पष्ट अभिशंषा चाही गयी है।

आवेदित भूमि के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) अनुसार वर्तमान भू–उपयोग हिली एंड रॉकी से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20.07.2017 अनुसार व्यापक जनहित में **"Any case or any activity which serve the public at large or which is in interest of the public at large including the use of land for the purpose of Public Sector Undertakings"** का उल्लेख है।

अतः प्रकरण के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने तथा व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भू–उपयोग परिवर्तन बाबत निर्णय लेने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 कुल रकबा 80.09 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से शेष 6 बीघा भूमि का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में पब्लिक, सेमी–पब्लिक प्रयोजन के अन्तर्गत सैकण्डरी एण्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल से संस्थागत (सुपर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्। JDA/FTS /99093

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषशा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में पब्लिक, सेमी–पब्लिक प्रयोजन के अन्तर्गत सैकण्डरी एण्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल से संस्थागत (सुपर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज) प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 कुल रकबा 80.09 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से शेष 6 बीघा भूमि का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में पब्लिक, सेमी–पब्लिक प्रयोजन के अन्तर्गत सैकण्डरी एण्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल से संस्थागत (सुपर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः– सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 23.06.2020 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 23.06.2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन की समयावधि 15 दिवस में अगर उजर ऐतराज नही पाया गया तो अग्रिम कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सक्षम स्तर पर नियमानुसार निस्तारण करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वरिष्ठ प्रारूपकार के अनुसार ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 रकबा 80.09 बीघा भूमि का भू–उपयोग अधिकांश भाग परिधि नियन्त्रण पट्टी एवं उत्तरी भाग में से प्रस्तावित मास्टर प्लान की 200' फीट सड़क एवं सड़क के उत्तर दिशा की तरफ वाला आंशिक भाग ओ. सी.एफ. के अन्तर्गत आरक्षित है। तथा नगर नियोजक सहायक के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) में पब्लिक, सेमी–पब्लिक प्रयोजन के अन्तर्गत सैकण्डरी एण्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल भू–उपयोग परिवर्तन प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है।

तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 रकबा 74.09 बीघा किस्म गै.मु. गोचर का स्वामित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम राजस्व रेकर्ड अनुसार है। पूर्व में दिनाक– 23.10.2009 को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. झालामण्ड को 35 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विकास संस्थान को 60' फीट रोड़ की भूमि छोड़ते हुए 35 बीघा भूमि का आवंटन अनुसार दिनांक– 04.12.2018 को आवंटन–पत्र जारी किया तथा दिनांक– 14.12.2018 को भौतिक रूप से कब्जा संस्था के प्रतिनिधी को सुपुर्द किया गया। मौके पर भौतिक सर्वे करते समय ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा संख्या 413 की राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा कुल 41 बीघा भूमि पर कब्जा कर रखा है। जिसे प्राधिकरण द्वारा उक्त राजस्थान विकास संस्थान को आंवटित भूमि व राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. के मध्य स्थित अतिरिक्त 6 बीघा निर्विवाद रूप से अवस्थित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए प्राधिकरण के कब्जे में लिया गया। उक्त अतिरिक्त राजकीय भूमि को राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विधिक वाद दायर किया गया। जिसके निर्णयानुसार प्रकरण संख्या 08/2020 की पालना में राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरा संख्या 413 का रकबा 74.09 बीघा के स्थान पर 80.09 बीघा शुद्ध रकबा राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तथा उक्त भूमि को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज किया गया। उक्त आवेदित भूमि गैर–योजना क्षेत्र में स्थित है। मौके पर पूर्व आंवटित 35 बीघा भूमि पर चार दीवारी का निर्माण प्रक्रियाधीन था, किन्तु उक्त 06 बीघा भूमि मौके पर रिक्त पाई गई।

प्रकरण में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (ड्राफ्ट) में पब्लिक, सेमी–पब्लिक प्रयोजन के अन्तर्गत सैकण्डरी एण्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल से संस्थागत (सुपर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पीटल एवं मेडिकल कॉलेज) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जाने बाबत् आवेदन किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20.07.2017 अनुसार हॉस्पीटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित की श्रेणी में रखा गया है। उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से मेडिकल सेवाओं के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ तथा आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्राधिकरण की भू–उपयोग करने की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोन पश्चिम मे विभिन्न स्थानो पर स्टोन पेवमेन्ट का कार्य (वार्षिक अनुबन्ध) के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में । JDA/FTS /98768

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन–पश्चिम/17/2019–20 के आईटम सं. 07 दिनांक 26. 02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 12.03.2020 को खोली जानी थी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड–19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 12.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य का कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 80, 80/1, 80/2, 80/3, 82/1 में स्थित सुविधा क्षेत्र रकबा 2435.06 वर्गगज भूमि का आवंटन करने के संबंध में। JDA/FTS /25158

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी को एजेण्डे में अभिषंशा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है **।JDA/FTS/25158**	प्रकरण में योजना के स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्थित कुल सुविधा क्षेत्र रकबा 2435.06 वर्गगज **(जैन मंदिर रकबा 1179.47 वर्गगज व कम्युनिटी सेंटर रकबा 1256. 59 वर्गगज)** का आवंटन/पटटा जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी श्री पुखराज पुत्र श्री चुन्नीलाल व श्रीमती लता पत्नी श्री रमेशचन्द्र का राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 80, 80/1, 80/2, 80/3, 82/1 रकबा 31 बीघा 04 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान पूर्व में वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा दिनांक 24.03.2008 एंव संशोधित ले–आउट प्लान दिनांक 19.08.2008 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात ले–आउट प्लान प्राधिकरण की जोन स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.02.2014 को स्वीकृत किया गया। प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2002 के अनुसार ले–आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी के तहत आदेश दिनांक 30.08.08 को पारित किये गये। जिसके क्रम में भूमि तत्कालीन न्यास वर्तमान प्राधिकरण के नाम हो चुकी है। तत्पश्चात प्राधिकरण में मांग–राशि जमा होने पर दिनांक 11.03.2014 को योजना में पटटे जारी किये जा चुके है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.03.2014 एवं दिनांक 28.02.2019 को स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्थित कुल सुविधा क्षेत्र रकबा 2435.06 वर्गगज **(जैन मंदिर रकबा 1179.47 वर्गगज व कम्युनिटी सेंटर रकबा 1256.59 वर्गगज)** का पटटा जारी करने की मांग की गई है।

नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 19.07.2018 के अनुसार ''ऐसी योजनाएं जो राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के प्रावधानों के तहत अनुमोदित नहीं है एंव जिनमें 10 हैक्टेयर तक एंव 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं में यदि पार्क व खुले स्थल एंव सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित कुल क्षेत्रफल क्रमशः न्यूनतम 5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत उपलब्ध हीं नहीं है, तो ऐसे प्रकरणों में पार्क एंव खुले स्थल हेतु क्रमशः न्यूनतम 5 प्रतिशत व 10 प्रतिशत छोडा जाना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी/ले–आउट प्लान समिति के स्तर पर योजना में सुविधा क्षेत्र हेतु उपलब्ध भूमि में से उस क्षेत्र की आवश्यकता का आंकलन कर पार्क व खुले स्थल एंव सुविधाओं हेतु पृथक–पृथक भूमि चिन्हित कर अंतिम उपयोग निर्धारित किया जा कर कार्यवाही की जावें।''

पूर्व में इसी प्रकार के अन्य प्रकरण में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2012 द्वारा राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/8 रकबा 1329.16 वर्गगज क्लब हाउस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

अतः पूर्व की भाति इस प्रकरण में योजना के स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्थित कुल सुविधा क्षेत्र रकबा 2435.06 वर्गगज **(जैन मंदिर रकबा 1179.47 वर्गगज व कम्युनिटी सेंटर रकबा 1256.59 वर्गगज)** का आंवटन/पटटा जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव अस्पष्ट है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का टाउनशिप पॉलिसी 2002 के तहत सुविधा क्षेत्र आवंटन संबंधी प्रावधानों एवं प्रकिया का पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 114/2, 114/5, 115, 115/2, 120, 122/5, 124, 124/1, 125/1 से 5 व 126, 127 व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 210, 211, 212 में स्थित योजना का सुविधा क्षेत्र यथा– कम्युनिटी, हॉस्पीटल, स्कूल, वरशिप प्लेस, क्लब, आध्यात्मिक संस्थान भूमि का आवंटन करने के संबंध में। JDA/FTS /94356

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी को एजेण्डे में अभिषंशा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। **JDA/FTS/94356**	प्रकरण में योजना के स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्थित क्लब हाउस रकबा 4260.58 वर्गमीटर, आध्यात्मिक संस्थान रकबा 1054.54 वर्गमीटर, वरशीप प्लेस रकबा 668.70 वर्गमीटर, स्कूल रकबा 9340.38 वर्गमीटर, कम्यूनिटी रकबा 2532.36 वर्गमीटर, हॉस्पीटल रकबा 4245.67 वर्गमीटर एवं विद्युत विभाग को बिजली कार्य एवं सब–स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर का आंवटन/पटटा जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थी आसान रियल्टी प्रा.लि. का राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 114/2, 114/5, 115, 115/2, 120, 122/5, 124, 124/1, 125/1 से 5 व 126, 127 व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 210, 211, 212 कुल रकबा 203.06 बीघा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा दिनांक 20.01.2007 को अनुमोदित किया गया तत्पश्चात प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 20.11.2011 एंव संशोधित ले–आउट प्लान बैठक दिनांक 19.07.2017 को स्वीकृत किया जाकर दिनांक 03.10.2018 को ले–आउट प्लान जारी किया गया। प्रकरण में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी के तहत आदेश पारित किये जाकर भूमि प्राधिकरण के नाम हो चुकी है। तत्पश्चात प्राधिकरण में मांग–राशि जमा होने पर दिनांक 05.11.2018 को योजना में पटटे जारी किये जा चुके है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2018 एवं दिनांक 18.02.2019 को स्वीकृत ले–आउट प्लान में स्थित क्लब हाउस रकबा 4260.58 वर्गमीटर, आध्यात्मिक संस्थान रकबा 1054.54 वर्गमीटर, वरशीप प्लेस रकबा 668.70 वर्गमीटर, स्कूल रकबा 9340.38 वर्गमीटर, कम्यूनिटी रकबा 2532.36 वर्गमीटर, हॉस्पीटल रकबा 4245.67 वर्गमीटर एवं विद्युत विभाग को बिजली कार्य एवं सब–स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर का पटटा/आवंटन जारी करने की मांग की गई है।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–4 जयपुर दिनांक 13.02.2015 के अनुसार निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है :–

1. टाउनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं का विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर योजना/आस–पास की योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर पर सुविधा के विकास हेतु आवंटित किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन की तीन माह की अवधि में आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। विकासकर्ता योजना में जिस प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित है के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का विकास करेगा।

2. यदि विकासकर्ता सुविधा क्षेत्र आवंटित किये जाने का अनिच्छुक है अथवा तीन माह की निर्धारित समायवधि में नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो सम्बन्धित नगरीय निकाय इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाकर अन्य इन्छुक व्यक्ति/संस्थाओं को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार आवंटित कर सकेगा। जिन विकासकर्ताओं द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 जारी होने के पश्चात् आवंटन हेतु आवेदन कर दिया गया था व उस पर आवंटन आदेश जारी हो गये हों तो उन पर विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 की शर्ते लागू होगी तथा जिन आवेदनों पर निर्णय नहीं हुआ हो वे इस आदेश के अन्तर्गत वर्णित शर्तो के अनुसार निष्पादित किये जावें।

पूर्व में इसी प्रकार के अन्य प्रकरण में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.09.2012 द्वारा राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/8 रकबा 1329.16 वर्गगज क्लब हाउस प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

अतः पूर्व की भांति इस प्रकरण में योजना के स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्थित क्लब हाउस रकबा 4260.58 वर्गमीटर, आध्यात्मिक संस्थान रकबा 1054.54 वर्गमीटर, वरशीप प्लेस रकबा 668.70 वर्गमीटर, स्कूल रकबा 9340.38 वर्गमीटर, कम्यूनिटी रकबा 2532.36 वर्गमीटर, हॉस्पीटल रकबा 4245.67 वर्गमीटर एवं विद्युत विभाग को बिजली कार्य एवं सब-स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर का आंवटन/पटटा जारी करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि प्रस्तुत प्रस्ताव अस्पष्ट है तथा प्रावधानों के अनुसार विकासकर्ता को आवंटित किये जाने वाले 1/2 हिस्सा क्षेत्र का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से टाउन शिप पॉलिसी 2010 के तहत सुविधा क्षेत्र में आवंटन के संबंध में प्रचलित प्रावधान एवं प्रक्रिया का पूर्ण परीक्षण कर आवंटन योग्य सुविधा क्षैत्र का स्पष्ट प्रस्ताव आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: शिकारगढ स्थित आशापूर्णा नेनोमेक्स की एप्रोच सडक का निर्माण कार्य के कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। JDA/FTS /93351

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

इस कार्य की निविदा सं. जोन-पूर्व/14/2019-20 के आईटम सं. 01 दिनांक 18.02.2020 को आमन्त्रित कर दिनांक 13.03.2020 को खोली गयी। SOP के बिन्दु सं. 19 के अनुसार अधिकतम 50 दिवस में कार्यादेश दिया जाना था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण निविदा खोलने की दिनांक 13.03.2020 से 50 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी हैं। इस कार्य की दर स्वीकृति सक्षम कमेठी द्वारा कर दी गई हैं एवम् कार्यादेश जारी करने की अनुशंषा कर दी गई हैं। अतः कार्य का कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति में रखने हेतु निर्देश प्रदान हुए हैं।

अतः कार्यादेश दिये जाने की स्वीकृति हेतु एजेण्डा नोट बनाकर प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी समिति को 50 दिन तक निविदा स्वीकृति की शक्तियां प्रदत्त है। इससे अधिक अवधि की निविदा स्वीकृति के लिए प्रचलित शिड्यल ऑफ पावर (एस.ओ.पी.) अनुसार Next Higher Authority सक्षम है। अतः बैठक में सर्व सम्मति से निविदा स्वीकृति के लिए अनुशंषा सहित प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में निविदा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: Termination of Contract for the Consultancy work for Preparation of Detailed Project Report for Construction of Auditorium under Tagore Cultural Complex Scheme at Jodhpur JDA/FTS/96905

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यकारी समिति की आगामी बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/प्रस्ताव निम्नलिखित है :–

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/96905)	Termination of Contract for the Consultancy work for Preparation of Detailed Project Report for Construction of Auditorium under Tagore Cultural Complex Scheme at Jodhpur

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोधपुर पॉलिटेक्नीक कॉलेज परिसर में नवीन ऑडिटोरियम निर्माण के लिए निविदाएं आमन्त्रित कर M/s Geo Designs & Research Pvt. Ltd. Gujarat को इस कार्यालय के कार्यादेश क्रमांक F38(03)/ROB/2019-20 दिनांक 06.02.2020 के तहत् राशि रू. 7,50,000.00 + GST Extra का कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश की पालना में कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तावित नवीन ऑडिटोरियम की कन्सलटेन्सी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। कन्सलटेन्सी कार्य की वित्तीय बिड का चेप्टर–04 पेमन्ट शैड्यूल निम्नानुसार है:–

CHAPTER-4 : PAYMENT SCHEDULE

S. No.	Stage of Work/ Milestone	Time Period	% of Payment to be released by JDA
1	On Preparation and submission of Preliminary Project Report including Overall Plan (Minimum 2 Options) along with Soil Investigation Report and Foundation Type as per Scope of Work	15 Days	10%
2	On Approval of Preliminary Report, Overall Plan of one alternate proposal by JDA after incorporating the comments/ suggestions of JDA Jodhpur.	10 Days	10%
3	On Submission & Approval of Detailed Project Report along with Detailed Architectural and Structural Drawings, Detailed Estimate Cost and Tender Document of each component of Proposed Auditorium as per the Scope of Work	20 Days	50%

4	On Submission & Feasibility Report required for receiving Financial Assistance under the scheme namely as Tagore Cultural Complexes (TCC) Scheme under the Ministry of Culture, GOI and to assist JDA Jodhpur for compliance of all the requirement as per the Guidelines of Tagore Cultural Complexes (TCC) Scheme under the Ministry of Culture, GOI	15 Days	30%

वर्तमान में कन्सल्टेन्ट द्वारा स्टेज–02 (On Approval of Preliminary Report, Overall Plan of one alternate proposal by JDA after incorporating the comments/ suggestions of JDA Jodhpur) तक का कार्य संपादित किया जा चुका है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2020–21 की घोषणा संख्या 146–147 अनुसार जोधपुर में **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी डीपीआर तैयार करवाने हेतु राशि रू. 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

पूर्व में प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये कन्सलटेन्ट के एग्रीमेन्ट में इस प्रकार के **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण संबंधी शर्ते सम्मिलित नहीं है। दिनांक 27.05.2020 को जिला कलक्टर, जोधपुर की अध्यक्षता में जिला कलक्टर सभागार में जोधपुर शहर में चल रहें विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बिन्दु सं. 31 में निर्देश प्रदान किये गये कि **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम की डीपीआर हेतु पुनः टेन्डर जारी किये जायें। पुनः नवीन आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं में L-1 आने वाले बिडर से वार्ता कर वर्तमान में नियुक्त कन्सलटेन्ट द्वारा किये गये कार्य को उपयोग में लेते हुए नेगोशियसन करवाये जाने एवं दरे कम करवाये जाने का प्रयास किया जायेगा।

इस क्रम में यह आवश्यक है कि प्राधिकरण नवीन टेन्डर आमन्त्रित करने से पहले, पूर्व में नियुक्त कन्सलटेन्ट के एग्रीमेन्ट को स्टेज–02 (On Approval of Preliminary Report, Overall Plan of one alternate proposal by JDA after incorporating the comments/ suggestions of JDA Jodhpur) पर ही समाप्त करते हुए कन्सलटेन्ट को कार्यादेश का 20 प्रतिशत का भुगतान करें।

अतः उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नियुक्त कन्सलटेन्ट के एग्रीमेन्ट को स्टेज–02 (On Approval of Preliminary Report, Overall Plan of one alternate proposal by JDA after incorporating the comments/ suggestions of JDA Jodhpur) पर ही समाप्त करते हुए कन्सलटेन्ट को कार्यादेश का 20 प्रतिशत का भुगतान करने का एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वित्तीय वर्ष 2020–21 की घोषणा संख्या 146–147 अनुसार जोधपुर में **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** के आधुनिक ऑडिटोरियम की डीपीआर तैयार करने हेतु राशि रू. 1.00 करोड़ की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकि स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति का प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार पूर्व में नियुक्ति कन्सलटेन्ट के एग्रीमेन्ट को स्टेज–02 पर ही समाप्त करते हुए कन्सलटेन्ट को कार्यादेश राशि का 20 प्रतिशत भुगतान एवं जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक ऑडिटोरियम की डीपीआर तैयार करने हेतु राशि रू. 1.00 करोड़ रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने, टर्म ऑफ रेफरेन्स एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 50 कुल रकबा 8361 वर्गमीटर का वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

एजेण्डा नोटः– राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 50 कुल रकबा 8361 वर्गमीटर का वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः– गोविन्द सिंह राठौड, गोपाल बाडी, चौपासनी, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 23.06.2020 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक–23.06.2020 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 50 राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर का वर्तमान भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। उक्त खसरा प्रस्तावित 200′ फीट सड़क स्थित है, परन्तु प्रस्तावित क्षेत्र को पूर्व में कार्यालय द्वारा खसरा संख्या 50 के रकबा 1500 वर्गगज भूमी का पट्टा विलेख अनुसार 80′ फीट प्राप्त हो रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर बाउण्ड्री वॉल बनी है। आवेदित स्थल रिक्त पाया गया है।

आवेदित भूमि से संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12.04.2018 अनुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है। प्रकरण में पर्यटन विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिनांक– 05.04.2013 को स्वीकृति प्रेषित की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक– 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है, तथा साथ ही उक्त उक्त भू–उपयोग परिवर्तन से पर्यटन ईकाई के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को भू–उपयोग परिवर्तन बाबत निर्णय लेने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 87, 87/3, 87/4, 72/3, 72/4 कुल रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा, वर्तमान भू–उपयोग वेयर हाउस, गोदाम से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग वेयर हाउस, गोदाम से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

एजेण्डा नोटः– राजस्व ग्राम बासनी बेन्दा के खसरा संख्या 87, 87/3, 87/4, 72/3, 72/4 कुल रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा, वर्तमान भू–उपयोग वेयर हाउस, गोदाम से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (आवेदकः– गोपाराम पुत्र श्री चेनाराम, श्रीमती मानी देवी पत्नि श्री गोबर राम।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 27.11.2019 एवं राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक–27.11.2019 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा संख्या 87, 87/3, 87/4, 72/3, 72/4 का भू–उपयोग जोधपुर मास्टर प्लान–2023 के अन्तर्गत वेयर हाउस व गोदाम के अन्तर्गत (भण्डारण व गोदाम) आरक्षित है। आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क जोधपुर मास्टर प्लान–2023 अनुसार 80'–120' फुट निर्धारित है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के 100 मीटर में आवासीय कॉलोनी (गैर रूपान्तरित), रहवासी मकान, कृषि भूमि, आर.एम.सी. प्लान व दुकाने निर्मित एवं संचालित है। मौका अनुसार आवेदित भूमि रिक्त है। आवेदित भूमि के भीतर एक बी.टी. रोड़ निर्मित है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण भूमि खाली है। आवेदित भूमि तक 120' एप्रोच रोड (स्टेट हाईवे 58') स्थित है। जो कि वर्तमान समय खसरा संख्या 72/1, 87/1 पी.डब्ल्यू.डी के नाम राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज है। मौके पर बी.टी. रोड़ निर्मित है। आवेदित भूमि के रोड़ भाग में एक एल.टी. लाईन गुजर रही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई लाईन नहीं गुजर रही है। आवेदक श्री गोपाराम पुत्र श्री चेनाराम (खसरा संख्या 87 रकबा 6.17 बीघा, खसरा संख्या 87/4 रकबा 1.18 बीघा, खसरा संख्या 82/3 रकबा 2.17 बीघा, खसरा सख्या 82/4 रकबा 6.17 बीघा) एवं श्रीमती मानी देवी पत्नि श्री गोबर राम (खसरा संख्या 87/3 रकबा 6.17 बीघा) कुल रकबा 25.6 बीघा भूमि का स्वामित्व है।

आवेदित भूखण्ड आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि का वेयर हाउस एवं गोदाम से होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को निर्णयार्थ भिजवाया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 12.04.2018 अनुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक- 21.11.2019 के अनुसार स्थानीय स्तरीय समिति की वृहद जनहित में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु औचित्यपूर्ण टिप्पणी व स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में विचारार्थ भिजवाया जाना अपेक्षित है, तथा साथ ही उक्त उक्त भू-उपयोग परिवर्तन से पर्यटन ईकाई के क्षेत्र में बढावा मिलेगा तथा रोजगार की संभावनाओं में भी बढोत्तरी होगी।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति को भू-उपयोग परिवर्तन बाबत निर्णय लेने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अलावा बैठक में उपस्थित श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक आयोजना ने अवगत कराया कि निम्नलिखित दो प्रस्ताव बैठक एजेण्डा में सम्मिलित नहीं हो सके। अतः इन दो प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया जावे। इस पर बैठक में निम्नलिखित दोनों प्रस्तावों को बैठक एजेण्डा में सम्मिलित कर उन पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

प्रस्ताव संख्या 34 :: राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन1 रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एंकल भूखण्ड प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण हेतु निर्णय बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम वगैरह द्वारा राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 417/7, 417/मीन1 रकबा 20.00.00 बीघा के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में निवेदन है कि प्रश्नगत प्रकरण को बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 31.01.2020 में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किया गया था। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 02 में *"प्रश्नगत प्रकरण में 3 आवेदकों में से श्री भंवर लाल द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 417 में स्थित भूमि का भू-उपयोग आवासीय व वाणिज्यिक किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की थी तथा आयोजना शाखा द्वारा तैयार की गयी आपत्ति सुझाव रिपोर्ट में चाहा गया उपयोग नॉलेज सिटी में अनुज्ञेय होने के कारण "कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं" बाबत टिप्पणी की गयी है। अतः समिति द्वारा आयोजना शाखा द्वारा आपत्ति सुझाव रिपोर्ट में की गयी टिप्पणी को उचित मानते हुए प्रार्थीयों द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में की गयी आपत्ति को विड्रो करने के क्रम में आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवाकर लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक द्वारा लिया गया निर्णय प्रार्थी को स्वीकार्य होगा बाबत प्रार्थी से शपथ-पत्र भी प्राप्त करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया"* का उल्लेख है।

उक्त निर्णय के क्रम में प्रार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः मास्टर प्लान में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण के परिपेक्ष्य में प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) के समय दर्ज आपत्ति को विड्रो किया जा चुका है तथा प्रार्थी द्वारा इस संबंध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः पूर्व में दर्ज आपत्ति को विड्रो किये जाने तथा आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में प्रेषित आपत्ति–सुझाव रिपोर्ट में ''कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है'' बाबत् की गयी टिप्पणी को सही मानते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/1, 726, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/9, 788 रकबा 110.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण हेतु निर्णय बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री कोजाराम भादरू पुत्र श्री रतनाराम, श्री हेमेन्द्र बारूपाल पुत्र श्री सुखराम द्वारा राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 793/1, 726, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 726/9 788 रकबा 110.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रकरण में उक्त खसरा विशेष पर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में निवेदन है कि प्रश्नगत प्रकरण को बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 06.03.2020 में रखा जाकर सशर्त अनुमोदित किया गया था। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 03 में ''*प्रश्नगत प्रकरण प्राप्त आपत्ति सुझाव अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति संख्या 278 दिनांक 28.10.2013 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दर्ज आपत्ति को विड्रो किये जाने का निवेदन किया गया, साथ ही पूर्व में श्रीमती जसोदा डाबी द्वारा दर्ज आपत्ति हेतु भी शपथ–पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति को विड्रो किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीयों द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों को विड्रो किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थीयो द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्तियों को विड्रो किये जाने के परिपेक्ष्य में आगामी कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवा लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्यकारी समिति व प्राधिकरण की बैठक द्वारा लिया गया निर्णय प्रार्थी को स्वीकार्य होगा बाबत प्रार्थी से शपथ पत्र भी प्रापत करने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया।*'' का उल्लेख है।

उक्त निर्णय के क्रम में प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः मास्टर प्लान में प्राप्त आपत्ति के निस्तारण के परिपेक्ष्य में प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) के समय दर्ज आपत्ति को विड्रो किया जा चुका है तथा प्रार्थी द्वारा इस संबंध में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः पूर्व में दर्ज आपत्ति को विड्रो किये जाने तथा आयोजना शाखा द्वारा पूर्व में प्रेषित आपत्ति–सुझाव रिपोर्ट में ''कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है'' बाबत् की गयी टिप्पणी को सही मानते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2020/ भाग–11/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 25...../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

27/6/20

(हरभान मीना)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2020/1380 से 1396 दिनांक :: 27 जून, 2020

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता; लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

27/6/20

(हरभान मीना)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 26 जून, 2020 को दोपहर 12.15 बजे श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती सीमा कविया, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
2. श्री अयूब खान, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3. श्री जी.आर. सीरवी, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
4. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
5. श्री जे.सी. व्यास, अधीक्षण अभियन्ता सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
6. श्री राणुराम चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, सिटी डिविजन–I, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
7. श्री मानाराम गर्ग, सहायक पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
8. श्री सुनिल के. पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर
9. श्री संजय झा, वरिष्ठ क्षैत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
10. श्री सुधीर माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
11. श्री चिमाराम प्रजापज, सहायक पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
12. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक (सीबीएस), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, लिमिटेड, जोधपुर
13. श्री अनुज अग्रवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री ओ.पी. सिरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्रीमती पुष्पा हरवानी, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री राजेन्द्रसिंह चान्दावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. श्री ओ.पी. विश्नोई, उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
21. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर